अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा, बिलासपुर, जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर (छ0ग0)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक....02...../2019 बिलासपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2019

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर (छ0ग0) की ओर से जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर में कैंटिन, सायकल स्टैड एवं फोटोकापीयर मशीन के संचालन हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न–1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट bilaspur.court@nic.in में अपलोड किया गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 11–09–2019 तक कार्यालयीन दिवस में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य, जिला शाखा, बिलासपुर, स्थान जिला न्यायालय बिलासपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते है। कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन के संचालन हेतु पृथक–पृथक आवेदन देना होगा।

निविदा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि –11–09–2019, समय– शाम–05:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 26–09–2019, समय– शाम–05:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि 27–09–2019, समय– शाम–04:00 बजे
स्थान– बिलासपुर

19.8.19

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला– शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

अनुसंलग्न–1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।
2. निविदा के लिए समय सीमा दिनांक 12–09–2019 से 15 दिन के भीतर ।
3. निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ राज्य, न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर

पिन कोड 495001

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

4. सभी निविदाएँ न्यूज पेपर में प्रकाशित अंतिम तिथि के दोपहर 03:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिये।
5. कैंटीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक–पृथक निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेंगी।
6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक–पृथक किया जायेगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को कैंटिन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

7 सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्यदिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा बिलासपुर के नाम पर होना चाहिए अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसके बोली को रद्द कर दिया जायेगा। उसे बोली की संपूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे कैंटिन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जायेगा तथा तभी उसे कैंटिन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन की पात्रता होगी।

8. कैंटिन में बेची जानी वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि संभव हो तो उसका दर बाजार दर से कम हो, यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुए एम0आर0पी0 दर से कम में बेचना होगा। कोई भी वस्तु एम0आर0पी0 दर से अधिक नहीं बेचा जायेगा। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान कैंटिन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होनी चाहिए।

9. कैंटिन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रन एवं वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रखरखाव जो कि जरूरत हो वे सारे शुल्क कैंटीन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

11. कैंटिन, सायकल स्टैण्ड, फोटोकॉपीयर मशीन संचालक द्वारा लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया कैंटिन की निविदा राशि का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। कैंटिन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैंटिन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा कैंटिन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कॉपीयर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

12. फोटोकॉपीयर मशीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।

13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।

Scanned by CamScanner

14. संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों का दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगा, जिसमें कर्मचारियों/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

16. निविदाएँ जो निर्धारित समायावधि के पश्चात प्राप्त होगें उन्हें खोला नही जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

18. कैंटिन हेतु न्यूनतम बोली राशि –5,000/–, सायकल स्टैण्ड हेतु– 7,000/–रू एवं फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु 4,000/–रू की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला– शाखा बिलासपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक–1

आवेदन पत्र का प्रारुप

01. अनुमति के लिए आवेदन

(01) केंटिन चलाने हेतु – जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर

(02) फोटोकापी मशीन चलाने हेतु – जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर

(03) सायकल स्टैंड चलाने हेतु – जिला न्यायालय/ जिला न्यायालय परिसर

जो लागु न हो उसे हटा दें.

02. आवेदक का नाम :– ....

03. पूर्ण पता :– ....

04. पहचान का प्रमाणः– :– ....
(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

05. निविदा हेतु बोली राशि :– ....
(मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया)

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा–बिलासपुर के नाम पर देय होगा और साथ ही निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी।

06. डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक कमांक और दिनांक ....

07. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखाः– ....

08. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होगें अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क0 06 एवं. 07 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner